during the years 1988, 1989, 1990 and 1991 are as given below:

(In kg.

Name of drug	1988	1989	1990	1991
Opium	3304 (512))	4855 (1658)	2114 (506)	1977 (526)
Heroin	3029 (489)	2714 (1248)	2193 (764)	621 (1156)
Ganja	45994 (592)	54463 (3612)	39090 (1782)	48210 (3129)
Hashish	17523 (419)	8179 (687)	6388 (753)	4397 (326)
Methaqualone	1649 (40)	887 (75)	2141 (60)	4415 (78)
Morphine	23 (24)	92 (14)	6 (27)	5 (20)
No. of persons prosecuted	3704	3694	4299	5400

(b) The Narcotic Drugs and Psychotro pic substances Act has been amended in the year 1989 in order to make the punishment provisions stringent. The Go vernment would propose any amendment of the Act to make punishment provi sions more stringent.

Action against rice hoarders

868. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Income Tax Authorities in Delhi have taken note of *the* unearthing of rice valued at Rs. 40 crores in January, 1992 and have taken any steps against the three proprietors involved for concealing income and evading income tax;

(to) if so, what are the details thereof;

(c) if no, action has been taken what are the reasons therefor; and

(d) whether the authorities propose to take action to ensure that the documents are not tampered with?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (d) The Department of Food and Supplies of the Delhi Administration had conducted checking of 17 foodgrain dealers of Delhi during January, 1992 to verify the quantity of stock available with them. The income represented by un-accounted stocks if any will be liable for assessment next year. However immediate action has been taken by the Income-tax Department and information collected by the Delhi Administration has been obtained for the purpose of appropriate action in the assessment proceedings.

एक प्राकृतिक आपदा राहत कोष की स्थापना

569. श्री लक्खीराम अग्रवाल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौवें वित्त आयोग की सिफारिश पर प्रत्येक राज्य में एक प्राकृतिक आपदा राहत कोष की स्थापना की गई है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस कोष में, राज्यवार, कितनी राशि का अंशदान किया गया है ;

(ग) अंशदानों/विनिधानों के संबंध में सरकार द्वारा अपनाये जाने वाले मूलभूत मानदंड क्या हैं; और

(घ) अन्य राज्यों को दी गयी राशि की तुलना में मध्य प्रदेश को कम राशि दिये जाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) और (ख) नवें वित्त आयोग ने सिफारिश की थी कि 1990–95 की अवधि के लिए राज्यों में राहत व्यय की वित्त व्यवस्था हेतु प्रत्येक राज्य के वास्ते आपदा राहत कोष स्थापित किया जाए। आपदा राहत निधि गठित करने तथा उसे प्रशासित करने और उसमें से निवेश करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं जो आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। 18 राज्य अब तक आपदा राहत कोष स्थापित कर चुके हैं। केन्द्र को, आबंटित राशि के 75 प्रतिशत का अंशदान करना अपेक्षित है जबकि राज्य के कोष में शेष 25 प्रतिशत का अंशदान संबंधित राज्य द्वारा किया जाना होता है। राज्यों के कोष में केन्द्र के वार्षिक अंशदान को दर्शाने वाला विवरण पत्र संलग्न है। [नीचे देखिए]

(ग) और (घ) आयोग द्वारा राज्यों के कोषों में आबंटन 1988–89 को समाप्त हुए पिछले 10 वर्षों के दौरान अनुमोदित व्यय की वास्तविक अधिकतम सीमाओं के औसतों को लेते हुए किया गया है। आयोग ने इस मानदण्ड को मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों पर समान रूप से लागू किया है।

विवरण

1990–95 के दौरान प्रत्येक राज्य के आपदा राहत कोष में केन्द्र का वार्षिक अन्शदान

(करोड़ रुपए में)

राज्य	केन्द्र का अंशदान
1. आन्ध्र प्रदेश	64.50
2. अरुणाचल प्रदेश	1.50
3. असम	22.50
4. बिहार	26.25
5. गोवा	0.75
6. गुजरात	63.75
7. हरियाणा	12.75
8. हिमाचल प्रदेश	13.50
9. जम्मू और कश्मीर	9.00
10. कर्नाटक	20.25
11. केरल	23.25
12. मध्य प्रदेश	27.75
13. महाराष्ट्र	33.00
14. मणिपुर	0.75
15. मेघालय	1.50
16. मिजोरम	0.75
17. नागालैण्ड	0.75
18. उड़ीसा	35.25
19. पंजाब	21.00
20. राजस्थान	93.00
21. सिक्किम	2.25
22. तमिलनाडु	29.25
23. त्रिपुरा	2.25
24. उत्तर प्रदेश	67.50
25. पश्चिम बंगाल	30.00
जोड़	603.00

Irregularities in rural banks in Uttar Pradesh

870. MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI; Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether irregularities have been detected in some branches of rural banks in Uttar Pradesh;